# प्रेस विज्ञप्ति
## 06.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेश प्रसाद वर्मा और अन्य के मामले में संजीव कुमार लाल, रीता लाल और जहांगीर आलम से संबंधित 4.42 करोड़ रुपये संयुक्त मूल्य की चार (4) अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सुरेश प्रसाद वर्मा और आलोक रंजन के खिलाफ एसीबी, जमशेदपुर द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, पीएमएलए जांच के दौरान, यह पाया गया कि आलोक रंजन (जो उस समय सुरेश प्रसाद वर्मा के घर में किराएदार के रूप में रह रहा था) के परिसर से एसीबी जमशेदपुर द्वारा जब्त किए गए 2.67 करोड़ रुपये वास्तव में वीरेंद्र कुमार राम के थे जो ग्रामीण विकास विशेष जोन और ग्रामीण कार्य विभाग, दोनों झारखंड सरकार के अंतर्गत, में मुख्य अभियंता के रूप में तैनात एक सरकारी अधिकारी था।

इसके अलावा पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत साझा की गई जानकारी के आधार पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), दिल्ली द्वारा वीरेंद्र कुमार राम, मुकेश मित्तल व अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जांच से सामने आए अतिरिक्त तथ्यों के मद्देनजर, ईओडब्ल्यू, दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर को जांच में जोड़ दिया गया।

जांच के दौरान, वीरेंद्र कुमार राम और उनके परिवार के सदस्यों की कुल 39.28 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से दिनांक 18.04.2023 के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के माध्यम से कुर्क किया गया जिसकी पुष्टि प्रबुद्ध न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई है। इसके अलावा, 03.08.2023 को एक और पीएओ जारी किया गया है जिसके तहत मुकेश मित्तल (वीरेंद्र कुमार राम के सीए) की 35.77 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया और उक्त पीएओ की पुष्टि प्रबुद्ध न्याय-निर्णयन प्राधिकारी द्वारा की गई है।

दिनांक 21.04.2023 को माननीय पीएमएलए न्यायालय, रांची के समक्ष आरोपी व्यक्तियों वीरेंद्र कुमार राम, आलोक रंजन, राजकुमारी और गेंदा राम के विरुद्ध अभियोजन शिकायत दायर की गई और इसके अतिरिक्त दिनांक 20.08.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी व्यक्तियों मुकेश मित्तल, तारा चंद, नीरज मित्तल, राम प्रकाश भाटिया, हरीश यादव और हृदया नंद तिवारी के विरुद्ध पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई।

जांच के दौरान, मई 2024 में अलग-अलग तारीखों पर पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई और तलाशी के परिणामस्वरूप 37.55 करोड़ रुपये की नकदी, एक वाहन, एक स्कूटी, आभूषण, कई डिजिटल डिवाइस और अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त/एकत्र किए गए। जांच के दौरान पता चला कि टेंडर आवंटन के लिए ठेकेदारों से कुल टेंडर मूल्य का 3.2% कमीशन लिया जाता है जिसे झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में ऊपर से नीचे तक मशीनीकृत तरीके से वितरित किया जाता है जिसमें मंत्री आलमगीर आलम के लिए लगभग 1.5% कमीशन भी शामिल है।

इसके अलावा, जांच के दौरान, तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम, उनके तत्कालीन पीएस संजीव कुमार लाल और जहांगीर आलम (संजीव कुमार लाल के करीबी सहयोगी) को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, संजीव कुमार लाल, रीता लाल (संजीव कुमार लाल की पत्नी) और जहांगीर आलम की अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान की गई और 4.42 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को 04.07.2024 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क किया गया। आलमगीर आलम, संजीव कुमार लाल और जहांगीर आलम के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, रांची के समक्ष 04.07.2024 को एक और पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई।

आज तक, 13 (तेरह) आरोपियों के खिलाफ तीन अभियोजन शिकायतें, 3 (तीन) अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए गए हैं जिसके तहत 44 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है, लगभग 38 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है, 8 (आठ) लक्जरी वाहन जब्त किए गए हैं और मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आगे की जांच जारी है।